HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Cross Objection (Civil) No. 11/2018

Ram Bharat

----Petitioner

Versus

Abdul Shahid And Others

----Respondent

Connected With

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 3575/2015

Ram Bharat

----Petitioner

Versus

Abdul Shahid And Others

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Sandeep Mathur
For Respondent(s) :

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

14/08/2023

प्रति–आपत्तिकर्ता/वाहन स्वामी को कार्यालय द्वारा इंगित आपत्ति के सम्बन्ध में सुना गया। उनके विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यह प्रति–आपत्तियां वाहन स्वामी की ओर से प्रस्तुत की गई है। कार्यालय ने धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत राशि जमा कराकर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने सम्बन्धी आक्षेप लगाया गया है। उनका तर्क है कि आलौच्य अवार्ड की सम्पूर्ण राशि बीमा कम्पनी द्वारा जमा करा दी गई है एवं वह राशि दावेदारों/अपीलार्थीगण की ओर से प्राप्त कर ली गई है, ऐसी स्थिति में अब प्रत्यर्थीगण को राशि जमा कराकर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने से उन्मुक्ति देते हुए उक्त आक्षेप को दूर किए जाने का आदेश दिया जावे।

अपने तर्कों के समर्थन में उनकी ओर से निम्न न्यायिक विनिश्चय प्रस्तुत किए–

1. केदार मीना एवं अन्य–बनाम–कुमारी दीप्ति माथुर एवं अन्य

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या 127/2022 आदेश दिनांक 12.12.2022

2. घीसीबाई एवं अन्य–बनाम–श्रीमती मगन कुंवर एवं अन्य

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या 3113/2003 आ.दि. 29.07.2004

विचार किया गया। प्रस्तुत न्यायिक विनिश्चयों का ससम्मान अवलोकन किया।

न्यायिक विनिश्चय **घीसीबाई एवं अन्य–बनाम–श्रीमती मगन कुंवर एवं अन्य** में कार्यालय द्वारा इंगित कार्यालय आक्षेप के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्णीत किया गया है–

It appears from the proviso to sub-sec. (1) of Sec. 173 of the Act of 1988 that before appeal can be entertained, the persons who prefers the appeal is required to pay Rs. 25,000/- or 50% of the amount awarded by the Tribunal against which appeal sought to be preferred. In the proviso itself, it is provided that this condition applied to the "person who is required to pay any amount in terms of such award" which clearly means that the person should be liable for payment under the award at the time of filing appeal. In case where the award amount has already paid in pursuance of the award either by the appellant or insurance company, then he cannot be asked to deposit any more amount because it will be directing the appellant to pay the amount exceeding his liability under the aware. Payment made by the insurance company is for giving discharge to the liability of the insurer.

Therefore, the appellant is not required to deposit the amount under the proviso to sub-sec. (1) of Sec. 173 of the Act of 1988.

उक्त न्यायिक विनिश्चय में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में तथा बीमा कम्पनी द्वारा सम्पूर्ण पंचाट राशि जमा करवाए जाने तथा दावेदारों को पंचाट राशि प्राप्त हो जाने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रति–आपत्तिकर्ता/वाहन स्वामी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं दावेदारों की आपत्ति के अधीन राशि जमा कराकर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने सम्बन्धी कार्यालय आक्षेप दूर किया जाता है।

प्रकरण दिनांक 17.01.2024 को सूचीबद्ध हो।

(SHUBHA MEHTA),J

AJAY KUMAR SINGHAL /570-571